अनुदान संख्या 94 – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 94–ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*1,00*	*31*	*–69*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1301,01,00	1341,20,00	1299,79,38	–41,40,62
पूरक	Supplementary	40,19,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		754,84,00	525,77,94	–229,06,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				223,05,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (4140.62 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 4019.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4140.62 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.4019.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क–गृह मंत्रालय	**A - Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	5042.00	4832.99	4807.02	–25.97
पु.	R.	–209.01			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	1193.00		1096.93	1076.79	–20.14
पु.	R.	–96.07				
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities					
मू.	O.	24133.00				
पू.	S.	2.00		20837.00	19627.50	–1209.50
पु.	R.	–3298.00				
ख-कृषि मंत्रालय	**B-Ministry of Agriculture**					
मुख्य शीर्ष "2403" पशु पालन	Major Head "2403" Animal Husbandry					
मू.	O.	1930.00		1521.13	1468.09	–53.04
पु.	R.	–408.87				
मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries					
मू.	O.	2423.00				
पू.	S.	1.00		961.31	891.68	–69.63
पु.	R.	–1462.69				
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C-Ministry of Rural Development**					
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	1538.00		1750.00	1752.17	+2.17
पु.	R.	212.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	3572.00			
पू.	S.	1.00	3630.75	3604.45	–26.30
पु.	R.	57.75			
घ-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	13928.00			
पू.	S.	3277.00	17735.12	17510.39	–224.73
पु.	R.	530.12			
छ-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**G - Ministry of Food Processing Industries**				
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	2445.00	2604.00	2501.62	–102.38
पु.	R.	159.00			
झ-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**I - Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	5142.00	5854.34	5667.57	–186.77
पु.	R.	712.34			
ञ-प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	**J - Department of Elementary Education and Literacy**				
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	5785.00	6313.89	5987.79	–326.10
पु.	R.	528.89			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ट-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**K - Department of Secondary Education and Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	5343.00			
पू.	S.	10.00	5604.39	5371.99	–232.40
पु.	R.	251.39			
ढ-लघु उद्योग मंत्रालय	**N - Ministry of Small Scale Industries**				
मुख्य शीर्ष "2885'' उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	240.00			
			10.00	0.44	–9.56
पु.	R.	–230.00			
ण-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	**O - Ministry of Information and Broadcasting**				
मुख्य शीर्ष "2220'' सूचना एवं प्रचार	Major Head "2220" Information and Publicity				
मू.	O.	395.00			
			225.00	218.23	–6.77
पु.	R.	–170.00			
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R - Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "3054'' सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	5752.00			
पू.	S.	1.00	7612.00	6653.63	–958.37
पु.	R.	1859.00			
मुख्य शीर्ष "3055'' सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport				
मू.	O.	1218.00			
			1881.52	1857.59	–23.93
पु.	R.	663.52			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ध-जहाजरानी मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
[illegible]	Ports and Light Houses				
मू.	O.	5982.00	6411.27	6372.62	–38.65
पु.	R.	429.27			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
जहाजरानी	Shipping				
मू.	O.	14268.00	17215.00	17140.59	–74.41
पु.	R.	2947.00			
प- नागर विमानन मंत्रालय	**U - Ministry of Civil Aviation**				
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	868.00	1586.60	1586.22	–0.38
पु.	R.	718.60			
फ-पर्यटन मंत्रालय	**V - Ministry of Tourism**				
मुख्य शीर्ष "3452"	Major Head "3452"				
पर्यटन	Tourism				
मू.	O.	2766.00	749.00	735.29	–13.71
पु.	R.	–2017.00			
भ-शहरी विकास मंत्रालय	**X - Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
[illegible]	Public Works				
मू.	O.	8114.00	8930.40	8891.16	–39.24
पू.	S.	500.00			
पु.	R.	316.40			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	784.00	560.00	559.99	–0.01
पु.	R.	–224.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2216’’ आवास	Major Head “2216” Housing				
मू.	O.	1147.00	1185.00	1183.89	–1.11
पु.	R.	38.00			
मुख्य शीर्ष “2217’’ शहरी विकास	Major Head “2217” Urban Development				
मू.	O.	1359.00	33.80	27.51	–6.29
पु.	R.	–1325.20			
य - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**Z - Ministry of Social Justice and Empowerment**				
मुख्य शीर्ष “2235’’ [illegible]	Major Head “2235” Social Security and Welfare				
मू.	O.	211.00	302.32	301.95	–0.37
पु.	R.	91.32			

(I) अट्ठाईस शीर्षों के अंतर्गत 4405.96 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4095.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष “3452’’ - “पर्यटक अवसंरचना - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता’’ - 1995.00 लाख रु. हेलीकॉप्टर से संबंधित निविदा/अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “3054’’ - “जिला और अन्य सड़कें - नगरपालिकाएं/नगरपालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद’’ - 200.00 लाख रु.;

(गा) मुख्य शीर्ष “2215’’ - “जल पूर्ति - नगरपालिकाएं/नगरपालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद’’ - 368.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.4405.96 lakhs remained wholly unutilised under twenty eight heads; of these Rs.4095.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “3452” – “Tourist Infrastructure – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme” – Rs.1995.00 lakhs – due to non-finalisation of tender/procurement of Helicopter.

(B) Major Head “3054” – “District and Other Roads – Municipalities/Municipal Councils – Port Blair Municipal Council” – Rs.200.00 lakhs;

(C) Major Head “2215” – “Water Supply - Municipalities/Municipal Council – Port Blair Municipal Council” - Rs.368.00 lakhs;

(घा) मुख्य शीर्ष "2216'' - ''शहरी आवास - नगरपालिकाएं/नगरपालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद'' - 207.00 लाख रु; और

(D) Major Head "2216" – "Urban Housing – Municipalities/Municipal Council – Port Blair Municipal Council" – Rs.207.00 lakhs; and

(ङ) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''सामान्य - नगरपालिकाएं/नगरपालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद'' - 1325.00 लाख रु.।

(E) Major Head "2217" – "General – Municipalities/Municipal Council – Port Blair Municipal Council" – Rs.1325.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से अनुदान जारी न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-release of grants owing to non-receipt of utilisation certificates.

(II) मुख्य शीर्ष "2408'' - ''खाद्य - अधिप्राप्ति और पूर्ति - गेहूं की खरीद'' के अंतर्गत 400.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 54.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 454.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 64.56 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) श्रम एवं परिवहन प्रभारों के बिलों के प्राप्त न होने और विभागीय अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2408" – "Food – Procurement and Supply- Purchase of Wheat" – the original provision of Rs.400.00 lakhs was augmented to Rs.454.00 lakhs by obtaining a supplementary grant of Rs.54.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.64.56 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of bills for labour & transportation charges and delay in approval for departmental advance.

(III) मुख्य शीर्ष "2408'' - ''खाद्य - अधिप्राप्ति और पूर्ति - धान की खरीद'' के अंतर्गत 1400.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 57.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1457.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो बाह्य स्थानों से श्रम प्रभारों एवं परिवहन प्रभारों से संबंधित बिलों के प्राप्त न होने के कारण 36.74 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2408" – "Food – Procurement and Supply - Purchase of Rice" - the original provision of Rs.1400.00 lakhs was augmented to Rs.1457.00 lakhs by obtaining a supplementary grant of Rs.57.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.36.74 lakhs - due to non-receipt of bills in respect of labour charges and transportation charges from outstation.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055'' - ''पुलिस बल का आधुनिकीकरण- तटीय निगरानी का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 237.07 लाख रु. की बचत (252.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए जलयानों, बसों की खरीद से संबंधित निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और निर्माणाधीन जलयान के संबंध में समापन प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2055" – "Modernisation of Police Force – Strengthening of Coastal Surveillance" – saving of Rs.237.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.252.60 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for purchase of new vessels, buses and non-receipt of completion certificate of vessel under construction.

(V) मुख्य शीर्ष "2070'' - ''अग्नि से बचाव तथा नियंत्राण - बचाव तथा नियंत्राण'' के अंतर्गत 147.26 लाख रु. की बचत (835.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2070" – "Fire Protection and Control – Protection and Control" - saving of Rs.147.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.835.50 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for procurement of new vehicles.

(VI) मुख्य शीर्ष "2245'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखत शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''बाढ., चक्रवात इत्यादि'' -

(क) ''कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता-प्राकृतिक विपत्ति'' - 12983.38 लाख रु. की बचत (13870.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''भूमि से रेत/गाद/लवणता को साफ करने के लिए किसानों को सहायता - प्राकृतिक विपत्ति'' - 1801.20 लाख रु. की बचत (2134.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कृषि क्षेत्रा/सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम से संबंधित राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुईं।

(ग) ''खराब ट्यूबवैलों, पंपसेटों आदि की मरम्मत के लिए किसानों को सहायता - प्राकृतिक विपत्ति'' -4159.11 लाख रु. की बचत (5250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि क्षेत्रा/सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम से संबंधित राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने और परामर्शदाताओं द्वारा ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से परामर्शदात्री सेवाओं संबंधी अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 365.20 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपदा प्रबंधन की तैयारी संबंधी सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए औपचारिकताओं को विलंब से अंतिम रूप प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "2403'' - ''अन्य स्कीमें - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 468.78 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि क्षेत्रा/सुनामी पुनर्वास

(VI) Under Major Head "2245" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Flood, Cyclones etc." -

(a) "Assistance to farmers for purchase of agricultural inputs – Natural Calamities" - saving of Rs.12983.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13870.00 lakhs); and

(b) "Assistance to farmers to clear sand/silt/ salinity from land – Natural Calamities" – saving of Rs.1801.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2134.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-utilisation of funds for Rajiv Gandhi Rehabilitation package for agricultural sector/ Tsunami Rehabilitation Programme.

(c) "Assistance to farmers for repairs of damaged tube wells, pump sets etc.– Natural Calamities" – saving of Rs.4159.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5250.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds for Rajiv Gandhi Rehabilitation package for agricultural sector/Tsunami Rehabilitation Programme and non-payment for consultancy services owing to non-finalisation of detailed project report by consultants.

(B) "General – Management of Natural Disaster Contingency Plans in Disaster Prone Areas – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.365.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in finalisation of formalities for procurement of disaster management preparedness materials.

(VII) Under Major Head "2403" - "Other Schemes – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.468.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-utilisation

कार्यक्रम से संबंधित राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

of funds for Rajiv Gandhi Rehabilitation package for agricultural sector/Tsunami Rehabilitation Programme.

(VIII) मुख्य शीर्ष "2405'' - ''अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 1505.90 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कमोरता और निकोबार प्रभाग में कार्यालय और रिहायशी भवनों के लिए पूर्व-निर्मित ढांचो का निर्माण न किए जाने की वजह से कृषि क्षेत्रा/सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज से संबंधित निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "2405" - "Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.1505.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds for Rajiv Gandhi Rehabilitation package for agricultural sector/Tsunami Rehabilitation Programme owing to non-construction of pre-fabricated structures for office and residential buildings at Kamorta and Nicobar Division.

(IX) मुख्य शीर्ष "2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास-आर्थिक सहायता - उद्योगों को परिवहन सहायता'' के अंतर्गत 239.56 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(IX) Under Major Head "2885" - "Development of Backward Areas – Subsidies – Transport Subsidies to Industries" – saving of Rs.239.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme.

(X) मुख्य शीर्ष "2220'' - ''फिल्में - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक व्यय'' के अंतर्गत 171.86 लाख रु. की बचत (384.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जन प्रचार माध्यमों पर होने वाले व्यय में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(X) Under Major Head "2220" - "Films – Direction and Administration – Administrative Expenditure" – saving of Rs.171.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.384.50 lakhs) was due to curtailment of expenditure on media campaign.

(XI) पांच शीर्षों के अंतर्गत 365.91 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक थीं।

(XI) Under five heads savings of Rs.365.91 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent to 59 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (16883.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 4019.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.16883.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.4019.00 lakhs and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2245'' -

(A) Major Head "2245" -

(क) ''बाढ़, चक्रवात आदि'' -

(a) "Flood, Cyclones etc." -

(i) ''आनुग्रहिक राहत'' -

(i) "Gratuitous Relief" -

(1) ''रोकड़ अनुदान'' - 839.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 729.10 लाख रु. था।

(2) ''अन्य मदें'' - 3949.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3943.66 लाख रु. था।

(ii) ''क्षतिग्रस्त सड़कें और सेतुओं की मरम्मत और पुन:स्थापना - प्राकृतिक आपदाएं'' - 1000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1001.10 लाख रु. था।

(iii) ''छोटे व्यापारियों/कारोबारियों के लिए पुन:प्रर्वतन पैकेज'' - 5302.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5300.67 लाख रु. था।

(ख) ''अन्य व्यय - प्राकृतिक आपदाएं'' - 3311.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2812.04 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - जिला परिषद'' - 93.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 92.97 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''जिला तथा अन्य सड़कें - जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - जिला परिषद'' - 1599.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 615.00 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं - अंतर्द्वीपीय जलयानों के प्रचालनात्मक प्रभार'' - 790.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 773.62 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''जिला पुलिस - जिला पुलिस की स्थापना'' - 109.31 लाख रु. का अधिक व्यय (3056.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्य के लिए तैनात कर्मचारियों पर अतिरिक्त व्यय होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2245'' -

(1) "Cash Doles" - Rs.839.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.729.10 lakhs.

(2) "Other Items" - Rs.3949.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3943.66 lakhs.

(ii) "Repairs and Restoration of damaged roads and bridges - Natural Calamities" - Rs.1000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1001.10 lakhs.

(iii) "Revival package for small traders and businessman" – Rs.5302.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5300.67 lakhs.

(b) "Other Expenditure – Natural Calamities" – Rs.3311.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2812.04 lakhs.

(B) Major Head "2515" – "Zilla Parishad/ District Level Panchayat – Zilla Parishad" – Rs.93.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.92.97 lakhs.

(C) Major Head "3054" - "District and Other Roads - Zilla Parishad/District Level Panchayats-Zilla Parishad" - Rs.1599.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.615.00 lakhs.

(D) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - Rs.790.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.773.62 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" – "District Police – District Police Establishment" – excess of Rs.109.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3056.40 lakhs) was due to additional expenses on employees deputed for relief and rehabilitation work in Tsunami areas.

(B) Major Head "2245" -

(क) ''बाढ़, चक्रवात आदि'' -

(i) ''पीने के पानी की पूर्ति - प्राकृतिक आपदाएं'' - 100.19 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(ii) ''क्षतिग्रस्तों सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत और पुन:स्थापना - प्राकृतिक आपदाएं'' - 304.57 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) ''क्षतिग्रस्त सरकारी रिहायशी भवनों की मरम्मत और पुन:स्थापना - प्राकृतिक आपदाएं'' - 519.67 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(iv) ''क्षतिग्रस्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्राण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत और पुन:स्थापना - प्राकृतिक आपदाएं'' - 169.58 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्यालय भवनों, सरकारी रिहायशी भवनों की पुन:स्थापना/पुनर्निर्माण किए जाने और भूकंप तथा सुनामी के दौरान बाढ़ नियंत्राण संबंधी निर्माण कार्यों के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - गाँव में पाइप द्वारा जल पूर्ति'' - 214.17 लाख रु. का अधिक व्यय (1038.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों के वार्षिक रख-रखाव के संबंध में त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य विद्युत गृह -विद्युत संयंत्रा और अनुषंगी निर्माण कार्य''- 339.99 लाख रु. का अधिक व्यय (477.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4373.05 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के दावों का निपटान किए जाने और बाह्य स्थानों को स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को भत्ते दिए जाने के कारण हुआ।

(a) "Flood, Cyclones etc." -

(i) "Drinking Water Supply – Natural Calamities" - excess of Rs.100.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to accelerated progress of works under Rajiv Gandhi Rehabilitation package.

(ii) "Repairs and Restoration of damaged Government Office Buildings - Natural Calamities" - excess of Rs.304.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs);

(iii) "Repairs and Restoration of damaged Government Residential Buildings - Natural Calamities" - excess of Rs.519.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs); and

(iv) "Repairs and restoration of damaged irrigation and flood control works-Natural Calamities" - excess of Rs.169.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh).

Excess under the above three heads was due to restoration/reconstruction of office buildings, Government Residential Buildings and flood control works damaged during earthquake and Tsunami.

(C) Major Head "2215" – "Water Supply – Rural Water Supply Programme – Rural Piped Water Supply" – excess of Rs 214.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1038.00 lakhs) was due to accelerated progress of annual maintenance of works.

(D) Major Head "2801" – "Diesel/Gas Power Generation –Other Power Houses – Power Plant and Ancillary Works" – excess of Rs.339.99 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4373.05 lakhs including supplementary grant of Rs.477.00 lakhs) was due to settlement of claims of Directorate General of Supplies and Disposals and allowances of staff transferred to outstations.

(ङ) मुख्य शीर्ष "2210'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय - गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल'' - 295.72 लाख रु. का अधिक व्यय (1957.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्तों की अदायगी किए जाने और जीवन रक्षक दवाइयों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम'' -150.41 लाख रु. का अधिक व्यय (1327.95 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रोन्नति संबंधी बकाया की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(चा) ''मुख्य शीर्ष "2202'' -

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - सर्व शिक्षा अभियान''- 125.00 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संबंध में केंद्रीय भाग को जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय'' - 162.76 लाख रु. का अधिक व्यय (3556.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य के लिए स्टाफ को अतिरिक्त भत्तों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(छा) मुख्य शीर्ष "3054'' -

(क) ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' -

(i) ''जिला सड़कें'' - 352.31 लाख रु. का अधिक व्यय (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''ग्रामीण सड़कें'' - 133.32 लाख रु. का अधिक व्यय (890.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(E) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy - Hospital and Dispensaries - G.B.Pant Hospital"– excess of Rs.295.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1957.50 lakhs) was due to payment of additional allowances to staff and purchase of life saving medicines.

(b) "Rural Health Services – Allopathy - Primary Health Centres - Primary Health Scheme" - excess of Rs.150.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1327.95 lakhs) was due to payment of assured career progression arrears to staff.

(F) Major Head "2202" –

(a) "Elementary Education – Other Expenditure – Sarva Shiksha Abhiyan" - excess of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to release of Central share for the scheme.

(b) "Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools" – excess of Rs.162.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3556.70 lakhs) was due to payment of additional allowances to staff for relief and rehabilitation work in Tsunami areas.

(G) Major Head "3054" -

(a) "District and Other Roads – Road Works" -

(i) "District Roads" - excess of Rs.352.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs); and

(ii) "Rural Roads" - excess of Rs.133.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.890.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सड़कों और सेतुओं की पुन:स्थापना/पुनर्निर्माण किए जाने तथा भूकंप और सुनामी के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का रख-रखाव किए जाने के कारण हुआ।

(जा) मुख्य शीर्ष "3055'' - ''सरकारी परिवहन सेवाएं-प्रचालन'' - 577.46 लाख रु. का अधिक व्यय (996.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेट्रोल तेल स्नेहकों के बिलों का निपटान किए जाने और बस ड्राइवरों की सेवाओं को नियमित किए जाने के कारण हुआ।

(झा) मुख्य शीर्ष "3051'' - ''लघु पत्तन - गोदी बेड़ा और शुष्क नौघाट - सरकारी गोदीबेड़ा'' - 391.87 लाख रु. का अधिक व्यय (2764.13 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेट्रोल तेल स्नेहकों की अधिक खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(ञ) मुख्य शीर्ष "3052'' -

(क) ''तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं'' -

(i) ''एस.सी.आई. को अदायगी'' - 1628.00 लाख रु. का अधिक व्यय (8517.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलयानों की रख-रखाव लागत में वृद्धि होने की वजह से भारतीय जहाजरानी निगम को अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''मुख्य भूमि-द्वीप जलयानों के प्रचालनात्मक प्रभार''- 478.13 लाख रु. का अधिक व्यय (2525.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंकर में वृद्धि होने एवं मुख्य भूमि-द्वीप जलयानों की रख-रखाव लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(टा) मुख्य शीर्ष "3053'' - ''हवाई सेवाएं - अन्य व्यय - पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. को अदायगी'' - 727.92 लाख रु. का अधिक व्यय (855.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी के पश्चात दूसरे हेलीकॉप्टर का समावेशन किए जाने के कारण हुआ।

(ठा) मुख्य शीर्ष "2059'' -

(क) ''सामान्य'' -

Excess under the above two heads was due to restoration/reconstruction of roads and bridges and maintenance of roads damaged during earthquake and Tsunami.

(H) Major Head "3055" – "Government Transport Services – Operation" - excess of Rs.577.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.996.80 lakhs) was due to settlement of Petrol Oil Lubricants bills and regularisation of services of bus drivers.

(I) Major Head "3051" – "Minor Ports – Dockyards and Dry-docking – Government Dockyard" - excess of Rs.391.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2764.13 lakhs) was due to purchase of more Petrol Oil Lubricants.

(J) Major Head "3052" -

(a) "Coastal Shipping - Shipping Services" –

(i) "Payment to SCI" – excess of Rs.1628.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8517.00 lakhs) was due to payment to Shipping Corporation of India owing to increase in maintenance cost of vessels.

(ii) "Operational Charges of Mainland-Islands Vessels" - excess of Rs.478.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2525.00 lakhs) was due to increase in the bunker and maintenance cost of mainland island vessels.

(K) Major Head "3053" – "Air Services – Other Expenditure – Payment to Pawan Hans Helicopter Ltd." – excess of Rs.727.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.855.00 lakhs) was due to induction of second helicopter after Tsunami.

(L) Major Head "2059" –

(a) "General" -

(i) ''मशीनरी तथा उपस्कर - नई आपूर्तियां'' -150.64 लाख रु. का अधिक व्यय (625.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(ii) ''रख-रखाव तथा मरम्मत - भवन'' - 174.94 लाख रु. का अधिक व्यय (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूकंप और सुनामी के दौरान क्षतिग्रस्त कार्यालय और रिहायशी भवनों की पुन:स्थापना/पुनर्निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(डा) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्रा को जल पूर्ति कार्यक्रम'' - 143.99 लाख रु. का अधिक व्यय (416.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(ढा) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत कार्य प्रभारित स्थापना'' -224.01 लाख रु. का अधिक व्यय (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूकंप और सुनामी के दौरान क्षतिग्रस्त कार्यालय और रिहायशी भवनों की पुन:स्थापना/पुनर्निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(णा) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण - कल्याण स्कीमें'' - 113.23 लाख रु. का अधिक व्यय (51.35 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत 287.74 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक और 149 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(i) "Machinery and Equipment – New Supplies" - excess of Rs.150.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.625.00 lakhs) was due to accelerated progress of works.

(ii) "Maintenance and Repairs – Buildings" - excess of Rs.174.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to restoration/ reconstruction of office and residential buildings damaged during the earthquake and Tsunami.

(M) Major Head "2215" – "Water Supply – Urban Water Supply Programme – Water Supply Programme to Port Blair Municipal Area" - excess of Rs.143.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.416.00 lakhs) was due to accelerated progress of works.

(N) Major Head "2216" – "General Pool Accommodation – Maintenance & Repairs Work Charged Establishment" - excess of Rs.224.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to restoration/ reconstruction of office and residential buildings damaged during the earthquake and Tsunami.

(O) Major Head "2235" - "Social Welfare – Welfare of Aged, Infirm and Destitute – Welfare Schemes" - excess of Rs.113.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.51.35 lakhs) was due to increase in widow pension/old age pension.

(III) Under four heads excess of Rs.287.74 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 149 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4215'' जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	**C-Ministry of Rural Development** Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation					
मू.	O.		2405.00			
				2288.00	2286.52	–1.48
पु.	R.		–117.00			
द-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5054'' सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	**R - Ministry of Road Transport and Highways** Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.		6465.00			
				7532.00	7516.33	–15.67
पु.	R.		1067.00			
ध-जहाजरानी मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5051'' [illegible] पर पूंजीगत परिव्यय	**S - Ministry of Shipping** Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses					
मू.	O.		4550.00			
				2719.00	2708.49	–10.51
पु.	R.		–1831.00			
मुख्य शीर्ष "5052'' जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping					
मू.	O.		5341.00			
				2819.00	2784.92	–34.08
पु.	R.		–2522.00			
प- नागर विमानन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5053'' नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	**U - Ministry of Civil Aviation** Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation					
मू.	O.		1200.00			
				478.00	403.69	–74.31
पु.	R.		–722.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
भ-शहरी विकास मंत्रालय	**X - Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	950.00	752.70	684.87	–67.83
पु.	R.	–197.30			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	3783.00	4180.13	4024.45	–155.68
पु.	R.	397.13			
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Edcuation, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	1189.00	1549.90	1543.28	–6.62
पु.	R.	360.90			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	1457.00	1100.00	1065.52	–34.48
पु.	R.	–357.00			
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	700.00	450.00	450.01	+0.01
पु.	R.	–250.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	37300.00	19387.00	19385.93	–1.07
पु.	R.	–17913.00			
मुख्य शीर्ष "4217'' शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	500.00	192.00	192.06	+0.06
पु.	R.	–308.00			
मुख्य शीर्ष "4403'' पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4403" Capital Outlay on Animal Husbandry				
मू.	O.	166.00	48.00	47.55	–0.45
पु.	R.	–118.00			
मुख्य शीर्ष "4851'' [illegible]	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	341.00	119.00	117.87	–1.13
पु.	R.	–222.00			
मुख्य शीर्ष "5055'' सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	100.00	227.00	228.25	+1.25
पु.	R.	127.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	180.00	295.00	281.64	–13.36
पु.	R.	115.00			
म-जल संसाधन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्राण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	**Y - Ministry of Water Resources** Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	238.00	661.00	658.35	–2.65
पु.	R.	423.00			

(I) 1557.00 लाख रु. का स्वीकृत प्रावधान सत्राह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 1150.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1557.00 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these Rs.1150.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "5053" - "विमानपत्तन - अन्य व्यय - हवाई यानों का प्रचालन और रख-रखाव" -1000.00 लाख रु. निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और हेलीकाप्टर की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "5053" - "Air Ports - Other Expenditure – Operation and Maintenance of Air Crafts"–Rs.1000.00 lakhs - due to delay in finalisation of tenders and non-procurement of helicopters.

(खा) मुख्य शीर्ष "4055" - "पुलिस आवास - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 150.00 लाख रु. निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण थे।

(B) Major Head "4055" – "Police Housing – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" – Rs.150.00 lakhs - due to slow progress of works.

(II) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत 267.04 लाख रु. की बचत (1705.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4215" - "Water Supply – Rural Water Supply – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.267.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1705.00 lakhs) was due to slow progress of works.

(III) मुख्य शीर्ष "5051" - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Major Head "5051" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन - जेटि्टयों का निर्माण'' - 163.72 लाख रु. की बचत (218.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने, सामग्री प्राप्त न होने और निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Minor Ports – Other Small Ports – Construction of Jetties" – saving of Rs.163.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.218.40 lakhs) was due to slow progress of works, non-receipt of materials and delay in finalisation of tenders.

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 2321.40 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकारी अभिकरण, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्यों को कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "General – Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" – saving of Rs.2321.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to less requirement by executing agency - Andaman Lakshadweep Harbour Works.

(IV) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "5052" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''टनभार का अधिग्रहण और विस्तार - जहाजों की खरीद'' - 1755.52 लाख रु. की बचत (2465.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य भूमि पोत कारखानों में जलयानों के निर्माण में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "Acquisition and Expansion of Tonnage- Purchase of Ships" - saving of Rs.1755.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2465.00 lakhs) was due to slow progress in the construction of vessels in the mainland shipyards.

(खा) ''जनजातीय क्षेत्रा उप योजना - जहाजों की खरीद''- 800.56 लाख रु. की बचत (2876.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य भूमि पोत कारखानों के निर्माण के अधीन जलयानों के संबंध में चरण समापन प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने और नए जलयानों के संबंध में निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area sub-plan - Purchase of Ships" - saving of Rs.800.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2876.00 lakhs) was due to non-receipt of stage completion certificate in respect of vessel under construction at mainland shipyard and non-finalisation of tenders of new vessels.

(V) मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यकमों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 257.02 लाख रु. की बचत (457.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले से ही स्वीकृत सिविल निर्माण कार्यों को आरंभ न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4210" - "General – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - saving of Rs.257.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.457.00 lakhs) was due to non-taking up of already sanctioned civil works by Andaman Public Works Department.

(VI) मुख्य शीर्ष ''4055'' - ''पुलिस आवास - भवन'' के अंतर्गत 115.13 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VI) Under Major Head "4055" – "Police Housing – Building" - saving of Rs.115.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs);

(VII) मुख्य शीर्ष ''4215'' - ''जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति'' के अंतर्गत 149.99 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VII) Under Major Head "4215" - "Water Supply - Urban Water Supply - Water Supply to Urban Areas" - saving of Rs.149.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs);

(VIII) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन-अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' के अंतर्गत 17925.32 लाख रु. की बचत (36500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VIII) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.17925.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36500.00 lakhs);

(IX) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें-निर्माण - पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रा में गैर सड़क के किनारे नालियों का निर्माण'' के अंतर्गत 300.04 लाख रु. की बचत (452.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IX) Under Major Head "4217" – "Other Urban Development Schemes – Construction - Construction of Non-Road Side Drain in Port Blair Area" - saving of Rs.300.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.452.00 lakhs);

(X) मुख्य शीर्ष ''4403'' - ''अन्य व्यय - भवन'' के अंतर्गत 118.45 लाख रु. की बचत (166.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(X) Under Major Head "4403" – "Other Expenditure – Buildings" - saving of Rs.118.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.166.00 lakhs); and

(XI) मुख्य शीर्ष ''4851'' - ''लघु उद्योग - भवनों का निर्माण'' के अंतर्गत 152.13 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(XI) Under Major Head "4851" - "Small Scale Industries – Construction of Buildings" - saving of Rs.152.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under the above six heads were due to slow progress of construction works.

(XII) सात शीर्षों के अंतर्गत 512.94 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक थीं।

(XII) Under seven heads savings of Rs.512.94 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 69 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (731.40 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''5051'' - ''लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन - पत्तन उपस्कर तथा मशीनरी'' के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 720.89 लाख रु. था।

4.(I) The above savings were partly (Rs.731.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "5051" - "Minor Ports – Other Small Ports – Ports Equipment and Machinery". Actual excess, however, was Rs.720.89 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5054'' -

(A) Major Head "5054" –

(क) ''राज्य राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - अंडमान मुख्य सड़क'' - 192.03 लाख रु. का अधिक व्यय

(a) "State Highways – Road Works – Andaman Trunk Road" – excess of

(1058.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''जिला तथा अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' -

(i) ''जिला सड़कें'' - 308.07 लाख रु. का अधिक व्यय (543.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(i) ''ग्रामीण सड़कें'' - 224.30 लाख रु. का अधिक व्यय (1073.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) ''सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 283.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष ''5053'' - ''विमानपत्तन - हवाई अड्डा - पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का निर्माण'' - 203.69 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - निर्माण - अन्य विभाग'' - 205.82 लाख रु. का अधिक व्यय (2647.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''सामान्य शिक्षा'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - भवन'' - 180.00 लाख रु. का अधिक व्यय (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा - भवन'' -160.00 लाख रु. का अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ज) मुख्य शीर्ष ''5055'' - ''भूमि एवं भवन - भवन''- 128.25 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

Rs.192.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1058.00 lakhs);

(b) "District and Other Roads - Road Works" –

(i) "District Roads" – excess of Rs.308.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.543.00 lakhs);

(ii) "Rural Roads" - excess of Rs.224.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1073.00 lakhs);

(c) "General – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme " - excess of Rs.283.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs);

(B) Major Head "5053" - "Air Ports - Aerodromes - Construction of Port Blair Air Port" - excess of Rs.203.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs);

(C) Major Head "4059" – "General - Construction – Other Departments" – excess of Rs.205.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2647.00 lakhs);

(D) Major Head "4202" - "General Education" -

(a) "Secondary Education - Buildings" – excess of Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs);

(b) "University and Higher Education - Buildings" – excess of Rs.160.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs);

(E) Major Head "5055" – "Land and Buildings – Buildings" – excess of Rs.128.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs); and

(चा) मुख्य शीर्ष ''4711'' - ''समुद्र अपरदनरोधी परियोजना- सिविल निर्माण कार्य - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 326.93 लाख रु. का अधिक व्यय (138.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(F) Major Head "4711" - "Anti Sea Erosion Project - Civil Works – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.326.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.138.00 lakhs).

उपर्युक्त 10 शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निर्माण कार्य की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

Excess under the above ten heads was due to accelerated progress of work.

(छा) मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - भवन'' - 106.64 लाख रु. का अधिक व्यय (175.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक सिविल निर्माण कार्य निष्पादित किए जाने के कारण हुआ।

(G) Major Head "5452" – "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation – Buildings" – excess of Rs.106.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.175.00 lakhs) was due to execution of more civil works.

(III) पांच शीर्षों के अंतर्गत 445.66 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 117 प्रतिशत तक था।

(III) Under five heads excess of Rs.445.66 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent to 117 percent of the sanctioned provision.